

न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क.20ए/2015

संस्थापित दिनांक 17/10/2013

फाईलिंग नम्बर 230303001672013

1. पूरन सिंह पुत्र गनपति सिंह आयु 52 साल जाति गुर्जर ठाकुर निवासी— साईं नगर कीरतपुरा वार्ड क.17 गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. पिककी आयु 27 साल
2. मोनू आयु 19 साल पुत्रगण प्रेम सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम डांग सरकार परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
3. श्रीमती ममता पुत्री प्रेम सिंह पत्नि लक्खू सिंह आयु 35 साल जाति जाटव निवासी ग्राम हुक्म सिंह का पुरा परगना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
4. श्रीमती अनीता पुत्री प्रेम सिंह पत्नि रामप्रकाश आयु 33 जाति जाटव निवासी ग्राम लहचूरा का पुरा परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
5. श्रीमती मंजू पुत्री प्रेम सिंह पत्नि रोशन सिंह आयु 30 साल जाति जाटव निवासी ग्राम धोरखा परगना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
6. श्रीमती रामदेवी पत्नि प्रेम सिंह आयु 52 साल
7. हरी सिंह पुत्र अंगल सिंह आयु 35 साल जाति जाटव निवासी ग्राम डांग सरकार परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
8. राजकुमार शर्मा पुत्र बृम्हदत्त आयु 34 साल
9. दिनेश पुत्र सरदार शर्मा आयु 40 साल निवासीगण ग्राम सोनी परगना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
10. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान—कलेक्टर महोदय भिण्ड

..... प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधि० श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव उप०।  
प्रतिवादी क्र० 8,9 द्वारा अधि० श्री भगवती राजौरिया उप०।  
प्रतिवादी क्र० 1,2,3,4,5,6,7 एवं 10 पूर्व से एकपक्षीय।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 22/12/2016 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम डांग सरकार परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 837 रकवा 0.86 हेक्टेयर जिसका बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र० 409 रकवा 0.861 आरे था की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 837 रकवा 0.86 आरे ग्राम डांग सरकार परगना गोहद में स्थित है उक्त भूमि का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र० 409 रकवा 0.861 आरे था उक्त वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त के पूर्व भूमि स्वामी प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 06 के पिता एवं पति मृतक प्रेम सिंह तथा हरी सिंह थे। उस समय हरीसिंह नाबालिग था तथा हरीसिंह के सरपरस्त उसके बड़े भाई प्रेम सिंह थे प्रेम सिंह ने उक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं एवं हरी सिंह के सरपरस्त की हैसियत से 34,500/-रुपये प्रतिफल लेकर वादी को विक्रय कर दी थी तथा दिनांक 30/10/91 को विक्रयपत्र निष्पादित हुआ था। विक्रयपत्र दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य है एवं वादी का हर किस्मी कब्जा बर्ताव है वयनामा होने के पश्चात वादी ने उक्त विक्रयपत्र नामान्तरण हेतु पटवारी मौजा को दिया था। इसी बीच उक्त भूमि का बन्दोबस्त हो गया था एवं बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि पर मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क्र० 7 हरीसिंह का नाम राजस्व कागजात में गलत रूप से इन्द्राज हो गया था। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण ने बिना प्रतिफल लिये अधिकार-विहीन विक्रयपत्र का निष्पादित दिनांक 06/09/11 को कर दिया है जो वादी के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 06 के मृतक पिता एवं पति प्रेम सिंह द्वारा स्वयं एवं हरीसिंह की सरपरस्त की हैसियत से वादी के हित में विक्रयपत्र निष्पादित किया गया था। इसके पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा छलकपट बेईमानी से पुनः दिनांक 06/09/11 को प्रतिवादी क्र० 8 एवं 9 के हक में विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है उक्त स्वत्वविहीन विक्रयपत्र से प्रतिवादी क्र० 8 और 9 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। उक्त बोगस विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी क्र० 8 और 9 ने वादी को सूचना दिये बगैर पटवारी मौजा से साजिश करके वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण करा लिया है। उक्त नामान्तरण व विक्रयपत्र वादी के मुकाबले शून्य है। नामान्तरण की जानकारी होने पर वादी द्वारा एस०डी०ओ० महोदय गोहद के न्यायालय में अपील पेश की गई है जो कि विचाराधीन है लेकिन अपील हो जाने के पश्चात प्रतिवादी क्र० 8 एवं 9 वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिये प्रयासरत हैं एवं वादग्रस्त भूमि का नापतौल करने लगे हैं जिससे वादी को भारी क्षति हो रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 06 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादीगण की

पूर्वहितानवर्ती प्रेम सिंह वादग्रस्त भूमि पर विक्रय दिनांक तक काविज होकर खेती करते रहे हैं। उनके द्वारा वादी के हक में कभी कोई विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया गया है न ही वादग्रस्त भूमि का वादी से कोई प्रतिफल लिया गया है। मौके पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र08 एवं 9 का आधिपत्य है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 एवं 10 के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रतिवादी क्र08 एवं 9 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वाद प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्र01 लगायत 06 के पूर्व हितानुवर्ती ने वादी के हक में वादग्रस्त भूमि का कभी कोई विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया है कथित विक्रयपत्र दिनांक 30/10/91 छल कपट पर आधारित है प्रतिवादी क्र06 की भूमि भाग को प्रेम सिंह को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र08 एवं 9 को मृतक सिंह एवं प्रतिवादी क्र07 ने विक्रय दिनांक को मौके पर कब्जा दिया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र08 एवं 9 का कब्जा बर्ताव है। मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क्र07 हरी सिंह का राजस्व कागजात में विधिवत एवं सही इन्द्राज था एवं मृतक प्रेम सिंह तथा प्रतिवादी क्र07 ने प्रतिवादी क्र08 और 9 से पूर्ण प्रतिफल लेकर विधिसम्मत विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 निष्पादित किया है वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सही नामान्तरण कराया गया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादी विवादित भूमि खसरा क्रमांक 837 रकवा 0.86 जिसका बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 409 रकवा 0.861 आरे था का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?

प्रमाणित है।

2. क्या मृतक प्रेम सिंह तथा हरी सिंह द्वारा किया गया विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 वादी के मुकाबले शून्य एवं अप्रभावशाली है?

हाँ

3. क्या वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया है?

हाँ

4. सहायता एवं व्यय?

वाद सफल रहा ।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### वाद प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में वादी पूरन सिंह वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.837 रकवा 0.86 आरे ग्राम डांग सरकार में स्थित है उक्त भूमि का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र.409 रकवा 0.861 आरे था उक्त भूमि के प्रतिवादी क्र01 लगायत 06 के पिता प्रेम सिंह एवं हरी सिंह भूमि स्वामी थे । उक्त भूमि को प्रतिवादी क्र01 लगायत 06 के पिता एवं पति मृतक प्रेम सिंह ने स्वयं एवं हरी सिंह के सरपरस्त के रूप में वादी से पूर्ण प्रतिफल 34,500/-रुपये लेकर विधिवत विक्रय की थी एवं विक्रयपत्र दिनांक 30/10/91 निष्पादित किया था। उस समय हरी सिंह नाबालिग था एवं मृतक प्रेम सिंह हरी सिंह के सरपरस्त थे इसलिये प्रेम सिंह ने हरी सिंह की ओर से भी वादी के हक में वयनामा किया था वयनामा दिनांक से ही वादी वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती कर रहा है। वादी ने उक्त भूमि का वयनामा पटवारी मौजा को दे दिया था इसी बीच बन्दोबस्त हो गया था बन्दोबस्त के बाद छलकपट बेईमानी से प्रतिवादी क्र08 और 9 के हक में वयनामा कर दिया है जो वादी के मुकाबले शून्य है। वादी द्वारा अपने अपने अभिवचनों के समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक 30/10/91 प्र0पी03, री नम्बरिंग सूची प्र0पी04 वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रति प्र0पी05 एवं खतौनी की प्रमाणित प्रति प्र0पी06 प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि विक्रयपत्र प्र0पी03 का लेन-देन कोर्ट में हुआ था रुपये रजिस्ट्रार साहब के सामने नहीं गिने थे रुपये वह घर से गिनकर लाया था उसके बुआ का लड़का सरदार सरपंच है उसने कोर्ट में आकर पैसे दिये थे उसने रुपये प्रेम सिंह को दिये थे । प्रेम सिंह विक्रयपत्र निष्पादित करने के लिये अकेला आया था उसका कोई रिश्तेदार बगैरा नहीं आया था । वयनामा वर्ष 1991 में दसवे महीने में हुआ था प्रेम सिंह को उसने विक्रयपत्र से पहले रुपये नहीं दिये थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बन्दोबस्त के बाद कृषि भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिकाये कृषको को बंटी थी उसने विवादित जमीनके अलावा अन्य कृषि भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका पटवारी मौजा से ले ली थी विवादित भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका उसे नहीं दी थी उसने बन्दोबस्त के पश्चात यह भी नहीं देखा था कि विवादित जमीन उसके नाम हो गई है या नहीं।

9. वादी साक्षी सरदार सिंह वा0सा02 एवं शिव सिंह वा0सा03 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

10. प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी ने विक्रयपत्र दिनांक 30/10/91 द्वारा क्रय की थी क्रय दिनांक से ही वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं हैं।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादी पूरन सिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.837 रकवा 0.86 आरे पूर्व सर्वे क्र.409 रकवा 0.861 आरे उसने प्र0पी03 के विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी क्र01 लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्र06 के पति मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क्र07 हरी सिंह से क्रय की थी तत्समय प्रतिवादी क्र07 हरी सिंह अव्यस्क था अतः हरी सिंह के हिस्से की भूमि



भी हरी सिंह की ओर से मृतक प्रेम सिंह द्वारा कय की गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावे में उक्त तथ्य का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क०7 हरी सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी को विक्रय नहीं की गई थी प्र०पी०३ का विक्रयपत्र वादी द्वारा फर्जी रूप से तैयार किया गया है परन्तु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

13. वादी पूरन सिंह वा०सा०१ ने वादग्रस्त भूमि प्र०पी०३ के विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी क०१ लगायत ०५ के पिता एवं प्रतिवादी क०६ के पति मृतक प्रेम सिंह से कय करना बताया है। वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी सरदार सिंह वा०सा०२ एवं शिव सिंह वा०सा०३ द्वारा भी किया गया है। वादी पूरन सिंह वा०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि विक्रय पत्र का लेन देन कोर्ट में हुआ था उसने रजिस्ट्रार के सामने रुपये नहीं गिने थे वह रुपये घर से गिनकर लाया था रुपये सरदार ने कोर्ट में आकर गिने थे। जबकि वादी साक्षी सरदार सिंह वा०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि विक्रय की धनराशि रजिस्ट्रार आफिस में दी गई थी विक्रय की धनराशि रजिस्ट्रार के सामने गिनी गई थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु वादी पूरनसिंह वा०सा०१ एवं वादी साक्षी सरदार सिंह वा०सा०२ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान किंचित विरोधाभाषी रहे हैं। परन्तु उक्त विरोधाभाष तात्त्विक नहीं हैं एवं मात्र उक्त विरोधाभाष से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

14. वादी पूरन सिंह वा०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि बन्दोबस्त के बाद कृषि भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिकाये कृषको को बंटी थी विवादित जमीन के अलावा अन्य कृषि भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका उसने पटवारी मौजा से ले ली थी विवादित भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका उसने बन्दोबस्त के बाद नहीं दी थी। उसने पटवारी से विवादित जमीन की भू अधिकार ऋण पुस्तिका मांगी भी नहीं थी। इस प्रकार वादी पूरन सिंह वा०सा०१ द्वारा यह प्रकट किया गया है कि उसने विवादित भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका पटवारी से नहीं मांगी थी न ही उसने बन्दोबस्त के पश्चात यह जानकारी ली थी कि विवादित भूमि उसके नाम पर हो गई थी अथवा नहीं परन्तु उक्त कथनों से भी मात्र वादी की लापरवाही प्रकट होती है एवं उक्त कथनों से प्र०पी०३ के विक्रयपत्र का खण्डन नहीं होता है।

15. वादी पूरन सिंह वा०सा०१ द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसे मृतक हरी सिंह द्वारा प्र०पी०३ के विक्रयपत्र द्वारा विक्रय की गई थी प्र०पी०३ के विक्रयपत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि मृतक प्रेम सिंह ने स्वयं एवं अपने भाई हरी सिंह की ओर से विवादित भूमि सर्वे क्र.४०९ रकवा ०.८६१ आरे दिनांक ३०/१०/९१ को वादी को ३४,५००/-रुपये में विक्रय की थी एवं तत्समय ही वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य वादी को सौंप दिया था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावे में यह भी आपत्ति प्रकट की गई है कि मृतक प्रेम सिंह को प्रतिवादी क०७ के अव्यस्क रहने के दौरान उसके हिस्से की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र०पी०३ के विक्रयपत्र पर प्रतिवादी क०७ हरी सिंह द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। यदि प्रतिवादी क०७ हरी सिंह को प्र०पी०३ के विक्रयपत्र पर कोई आपत्ति थी तो वह स्वयं उक्त संबंध में व्यस्क होने के पश्चात प्र०पी०३ के विक्रयपत्र को अपने हिस्से की भूमि की सीमा तक शून्य कराने की कार्यवाही कर सकता था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि स्वयं प्रतिवादी क०७ हरी सिंह द्वारा प्र०पी०३ के विक्रयपत्र का खण्डन किया गया हो अथवा प्र०पी०३ के

विक्रयपत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो चूंकि स्वयं हरी सिंह द्वारा प्र0पी03 के विक्रयपत्र पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अन्य प्रतिवादीगण का यह कथन कि मृतक प्रेम सिंह को हरी सिंह के हिस्से की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था स्वीकार योग्य नहीं है।

16. वादी पूरन सिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि मृतक प्रेम सिंह ने स्वयं एवं अपने अव्यस्क भाई हरी सिंह की ओर से वादग्रस्त भूमि प्र0पी03 के विक्रयपत्र द्वारा उसे विक्रय की थी वादी द्वारा उक्त विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षी सरदार सिंह वा0सा02 को भी परीक्षित कराया गया है एवं सरदार सिंह वा0सा02 ने भी उक्त बिन्दु पर वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है एवं प्र0पी03 के विक्रयपत्र के एसेए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। वादी साक्षी शिव सिंह वा0सा03 ने भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

17. वादी साक्षी सरदार सिंह वा0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि प्र0पी03 के विक्रयपत्र का दूसरा साक्षी खत्म हो चुका है इस प्रकार वादी पूरन सिंह वा0सा01 ने वादग्रस्त भूमि प्र0पी03 के विक्रयपत्र द्वारा मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क07 हरी सिंह से क़य करना बताया है। वादी द्वारा प्र0पी03 के विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षी सरदार सिंह वा0सा02 को भी परीक्षित कराया गया है एवं सरदार सिंह वा0सा02 ने भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है तथा प्र0पी03 के विक्रयपत्र के एसेए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्र0पी03 के विक्रयपत्र को विधिवत प्रमाणित कराया गया है प्र0पी03 के विक्रयपत्र से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक प्रेम सिंह द्वारा स्वयं एवं हरी सिंह के सरपरस्त के रूप में वादग्रस्त भूमि सर्वे क़.409 रकवा 0.861 आरे दिनांक 30/10/91 को वादी को 34,500/-रुपये प्रतिफल लेकर विधिवत विक्रय की थी वादी द्वारा प्रकरण में री नम्बरिंग सूची प्र0पी04 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सर्वे क़. 409 का बन्दोबस्त पश्चात नवीन सर्वे क़.836 है।

18. वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि बन्दोबस्त के पश्चात मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क07 हरी सिंह ने छलकपट एवं बेईमानी से प्रतिवादी क08 व 9 के हित में वादग्रस्त भूमि दिनांक 09/06/11 को विक्रय कर दी थी चूंकि वादी को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने के पश्चात मृतक प्रेम सिंह एवं हरी सिंह को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं था इसलिये विक्रयपत्र दिनांक 09/06/11 वादी के हितों के मुकाबले शून्य हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी क01 लगायत 05 के पिता एवं प्रतिवादी क06 के पति मृतक प्रेम सिंह ने स्वयं एवं अपने अव्यस्क भाई प्रतिवादी क07 हरी सिंह के सरपरस्त की हैसियत से वादग्रस्त भूमि दिनांक 30/10/91 को प्र0पी03 के विक्रयपत्र द्वारा वादी को पूर्ण प्रतिफल लेकर विक्रय कर दी थी एवं प्र0पी03 का विक्रयपत्र निष्पादित होने के पश्चात मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क07 हरी सिंह के पास वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व शेष नहीं बचा था ऐसी स्थिति में मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क07 हरी सिंह को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क08 एवं 9 को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यद्यपि वादी द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 को साक्ष्य के दौरान विधिवत प्रदर्शित नहीं कराया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाबदावे में विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क07 हरी सिंह ने दिनांक 06/09/11 को वादग्रस्त भूमि सर्वे क़.837 रकवा 0.86 आरे प्रतिवादी क08 एवं 9 को विक्रय की

थी चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि को मृतक प्रेम सिंह द्वारा स्वयं एवं प्रतिवादी क०7 हरी सिंह के सरपरस्त के रूप में दिनांक 30/10/91 को प्र०पी०३ के विक्रयपत्र द्वारा वाद को पूर्व में ही विक्रीत की जा चुकी है एवं प्र०पी०३ के विक्रयपत्र के निष्पादन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क०7 हरी सिंह को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं था। अतः मृतक प्रेम सिंह एवं प्रतिवादी क०7 हरी सिंह को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क०8 एवं 9 को विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 द्वारा विक्रीत करने का अधिकार नहीं था। अतः विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 वादी के हितों के मुकाबले शून्य है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में वादी पूरन सिंह वा०सा०१ ने वादग्रस्त भूमि प्र०पी०३ के विक्रयपत्र द्वारा कय करना बताया है। वादी द्वारा प्र०पी०३ के विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षी सरदार सिंह वा०सा०२ को भी परीक्षित कराया गया है सरदार सिंह वा०सा०२ ने भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है एवं प्र०पी०३ के विक्रयपत्र पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। वादी साक्षी शिव सिंह वा०सा०३ द्वारा भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अभिवचनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। प्र०पी०३ के विक्रयपत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि कय दिनांक को ही विक्रेता द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्रदान कर दिया गया था। यद्यपि वादी द्वारा जो प्र०पी०५ का खसरा एवं प्र०पी०६ की किशतबंदी खतौनी प्रस्तुत की गई है उसमें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क०८ एवं ९ का नाम कब्जाधारी एवं भूमि स्वामी के रूप में अंकित है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा खतौनी की प्रविष्टि स्वत्व का प्रमाण नहीं होती है वादी द्वारा प्र०पी०३ के विक्रयपत्र को विधिवत प्रमाणित कराया गया है एवं प्र०पी०३ का विक्रयपत्र प्र०पी०५ के खसरे एवं प्र०पी०६ की किशतबंदी खतौनी पर अभिभावी है। प्र०पी०३ के विक्रयपत्र से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि मृतक प्रेमसिंह द्वारा वादी को दिनांक 30/10/91 को विक्रय की गई थी एवं कय दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है।

20. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह ग्राम डांग सरकार परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क.८३७ रकबा ०.८६ पूर्व सर्वे क.४०९ रकबा ०.८६ आरे का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने योग्य हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

### **वाद प्रश्न कमांक-3**

21. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी पूरन सिंह वा०सा०१ द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर केशर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं एवं वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने के लिये प्रयासरत हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। पूर्व में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। वादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक रूप से केशर लगाकर वादी के कब्जे में बाधा पहुंचा रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावे में वादी के उक्त अभिवचन का विशिष्ट रूप से खण्डन किया गया है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य का स्पष्ट रूप से कोई खण्डन नहीं किया गया है अतः यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अवैध रूप से केशर लगाने का प्रयास कर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थाई निशेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

**वाद प्रश्न कमांक-4**

22. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया है एवं पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। जबकि वादी द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

23. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्र.837 रकवा 0.86 पूर्व सर्वे क्र.409 रकवा 0.861 आरे की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रयपत्र दिनांक 09/06/11 को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन वादग्रस्त भूमि कृषि के लगान के 20 गुणे के आधार पर कर तदनुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं।

**सहायता एवं व्यय**

24. समग्र अवलोकन से वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः प्रस्तुत वाद निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:-

- 1- यह घोषित किया जाता है कि वादी ग्राम डांग सरकार परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त सर्वे क्र.837 रकवा 0.86 पूर्व सर्वे क्र.409 रकवा 0.861 आरे का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा मृतक प्रेम सिंह एवं हरी सिंह द्वारा प्रतिवादी क्र.08 एवं 9 के हित में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 06/09/11 वादी के हितों के मुकाबले शून्य है।
- 2- प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।
- 3- प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से बहन किया जावेगा।
- 4- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान - गोहद

दिनांक - 22/12/16

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0